

**भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3489
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

आगमन पर वीज्ञा

3489. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके नागरिकों को भारत द्वारा आगमन पर वीज्ञा दिया जाता है;
- (ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारतीयों को आगमन पर वीज्ञा की सुविधा प्रदान की है;
- (ग) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विगत पांच वर्षों के दौरान भारत आगमन पर वीज्ञा दिये जाने वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है; और
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीयों को आगमन पर वीज्ञा प्रदान करने वाले देशों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]**

(क) वर्तमान में, भारत तीन देशों अर्थात् जापान, कोरिया गणराज्य (केवल कुछ श्रेणियों के लिए) और संयुक्त अरब अमीरात (कुछ शर्तों के साथ) को आगमन पर वीज्ञा की सुविधा प्रदान करता है।

(ख) आज तक की स्थिति के अनुसार, 39 देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को आगमन पर वीज्ञा की सुविधा प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट [<https://www.mea.gov.in/VFFIN.htm>] पर उपलब्ध है।

(ग) विगत पांच वर्षों में आगमन पर वीज्ञा प्रदान करने वाले देशों की सूची में कोई भी देश शामिल नहीं किया गया है।

(घ) वीज्ञा जारी करने के संदर्भ में नीतियों का निर्माण संबंधित देश का संप्रभु मामला है और वीज्ञा मुक्त प्रवेश/आगमन पर वीज्ञा सुविधा प्रदान करने से संबंधित मामला भी द्विपक्षीय संबंधों और पारस्परिकता के सिद्धांत सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह डाटा बदलता रहता है। भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों को आगमन पर वीज्ञा सुविधा प्रदान करने वाले देशों का विवरण विदेश मंत्रालय द्वारा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, जो निम्नलिखित लिंक <https://www.mea.gov.in/VFFIN.htm> पर उपलब्ध है।
